न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 42/2016

1. कलवन्तसिंह पुत्र जसमेलसिंह जाति जटसिख निवासी 14 एल.एन.पी. अक्कावाली ढ़ाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. मनदीपसिंह पुत्र जगजीतसिंह जाति जटसिख निवासी 14 एल.एन.पी. अक्कावाली ढ़ाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. महेन्द्रसिंह पुत्र चानणसिंह जाति जटसिख निवासी 14 एल.एन.पी. अक्कावाली ढ़ाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. जसमेलसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 14 एल.एन.पी. अक्कावाली ढ़ाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. जगजीतसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 14 एल.एन.पी. अक्कावाली ढ़ाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए बाबत घोषणा, एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री सुरेश धमीजा अधिवक्ता	वादीगण
2. श्री मुकेश कुमार सिंधी अधिवक्ता	प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 26.05.2017

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का दादा है, तथा प्रतिवादीगण 2 व 3 वादीगण के पिता है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 14 एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 50/48 मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 13/2 से 18/1 व 23/2 से 25 की कुल 1.858 हैक्टर भूमि खातेदारी दर्ज है, एवम् खाता संख्या 53/51 मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 की कुल 3.795 हैक्टर में से 1.897 हैक्टर खातेदारी दर्ज है, जमाबन्दी की नकल शामिल है।

उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को अपनें पूर्वजों से मिली हुई एवम् जद्दी जायदाद की आय से बनाई हुई सम्पत्ति के रूप में दर्ज चली आ रही है जबकि इसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा रहा है।

कालान्तर से परिवार बढ़ जानें से व वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के संयुक्त हिन्दु खानदान की सम्पत्ति उपरोक्त कृषि भूमि के अलावा अन्य चल व अचल सम्पति होनें के कारण पारिवारिक समझौता द्वारा विभाजन आपसी सहमति से किया गया तथा वादीगण के हिस्सा व कब्जा में उपरोत आराजी चक 14 एल.एन.पी. के खाता संख्या 50/48 मुरब्बा नम्बर 35 के 1.858 हैक्टर वादी संख्या 1 के हिस्सा व कब्जा में तथा खाता संख्या 53/51 मुरब्बा नम्बर 34 की 3.795 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1.897

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

हैक्टर जो कि किला नम्बर 3, 8, 9/2, 12/2, 13, 18, 19/2, 22/2, 23 वादी संख्या 2 के हिस्सा व कब्जा में आई इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 नें अपनी स्वेच्छा से संयुक्त हिन्दु खानदान की अन्य सम्पत्ति प्राप्त की गई इस प्रकार वाद पत्र की चरण संख्या 3 में अंकित आराजी पर वादीगण अरसा दराज से काबिज चले आ रह है। तथा आज भी काबिज है।

वादीगण नें उपरोक्त भूमि में भारी मेहनत व काफी रूपया लगाकर सुधार किया हुआ है तथा भूमि काफी उपजाऊ बन गई है अब प्रतिवादी संख्या 1 जो कि कुछ गल्त लोगों के अनुचित प्रभाव में है लालचवश होकर ना केवल वादीगण को जबरन बेदखल करना चाहता है बल्कि भूमि को मुन्तकिल करनें की कोशिश में है। तथा उसके द्वारा लोगों को भूमि दिखानी व विक्रय के लिये बातचीत करना शुरू कर दिया है यदि वह इसमें सफल होता है, तो वादीगण को ना पुरा होनें वाला नुकसान होगा अतः वादीगण के लिये दावा हाजा लाना अपनें अधिकारों की घोषणा करवाना तथा डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना आवश्यक हो गया है।

वादीगण नें प्रतिवादीगण से बार बार आग्रह किया कि वह पारिवारिक समझौता में हुए बंटवारा के अनुसार वाद पत्र की चरण संख्या 3 में अंकित आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार हकदार मानकर उनके नाम से दर्ज करवाये तथा प्रतिवादी संख्या 1 स्व्यं अथवा अन्य की सहायता से वादीगण को बेदखल करनें से बाज व ममनु रहे मगर वह टाल मटोल करते रहे दिनांक 18.03.2016 को साफ इन्कारी है अतः यही बिनाय मुखासमत है। तथा वादीगण के लिये दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है, कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि वाद पत्र की चरण सख्या 3 में अंकित आराजी पारिवारिक समझौता द्वारा किये गये घरू बंटवारा में वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में आई होनें के कारण चक 14 एल.एन.पी. के खाता संख्या 50/48 मुरब्बा नम्बर 35 के 1.858 हैक्टर का वादी संख्या 1 तथा खाता संख्या 53/51 मुरब्बा नम्बर 34 की 1.897 हैक्टर जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, का वादी संख्या 2 खातेदार काश्तकार तथा हकदार है एवम् वादीगण के नाम से इसी अनुसार दर्ज करने, लगान कायम करनें का आदेश फरमाया जावे।
2. डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादीगण के कब्जा काश्त की उक्त आराजी चक 14 एल.एन.पी. के खाता संख्या 50/48 मुरब्बा नम्बर 35 के 1.858 हैक्टर का वादी संख्या 1 तथा खाता संख्या 53/51 मुरब्बा नम्बर 34 की 1.897 हैक्टर जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का वादी संख्या 2 खातेदार काश्तकार तथा हकदार है के कब्जा काश्त में मदाखलत करनें जबरन बेदखल करनें तथा किसी को रहन बैय मुन्तकिल करनें से बाज व ममनु रहे।
3. खर्चा मुकद्मा दिलवाया जावे।
4. अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो वह भी प्रदान किया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बाद तामिल उपस्थित आये जबाब पेश नहीं किये जानें पर जबाब बन्द किया गया।

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जबाब वाद पत्र पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया किया कि वाद पत्र में पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद का है, जिसमे राज्य सरकार का हित निहित नहीं है। अतः बाद सुनवाई राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निस्तारण किया जाना आवेदित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 3

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 18 एम.एल. में आयोजित शिविर में उभयपक्ष उपस्थित आये तथा राजीनामा पेश किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि पक्षकारान का आपसी राजीनामा हो चुका है परिवार के मौतबिरान लोगों व रिश्तेदारों की समझाईश से हम लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर हम इस बात से समहत है, कि वाद पत्र के अन्तर्गत चाये गये अनुतोष पर किसी को कोई एतराज नहीं है वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के आधार पर वाद वादी स्वीकार करें तो हम पक्षकारान पूर्ण रूप से सहमत है।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को मजमे आम में पढ़कर सुनाया गया जिस पर उभय पक्ष द्वारा सहमत होनें पर पर हस्ताक्षर करवाये गये उभयपक्ष की पहचान श्रीमति सतवीर कौर सरपंच ग्राम पंचायत 18 एम.एल. द्वारा पहचान किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

–:: आदेश ::–

पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद पत्र विधि अनुसार एवम् लोक अदालत की भावना के अनुरूप होनें पर उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जाने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत चक 14 एल.एन.पी. के खाता संख्या 50/48 मुरब्बा नम्बर 35 के 1.858 हैक्टर का वादी संख्या 1 कलवन्तसिंह पुत्र जसमेलसिंह जाति जटसिख निवासी 14 एल.एन.पी. अक्कावाली ढ़ाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर तथा खाता संख्या 53/51 मुरब्बा नम्बर 34 की 1.897 हैक्टर जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, का वादी संख्या 2 मनदीपसिंह पुत्र जगजीतसिंह जाति जटसिख निवासी 14 एल.एन.पी. अक्कावाली ढ़ाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है उक्त भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्रसिंह पुत्र चानणसिंह जाति जटसिख निवासी 14 एल.एन.पी. अक्कावाली ढ़ाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के स्थान वादीगण का नाम अकन किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 26.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 18 एम.एल. में मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर